न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/418/2018

उनवान

1. भँवर लाल पिता जगदीश चन्द्र शर्मा, निवासी कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजेन्द्र कुमार पिता जगदीश चन्द्र शर्मा निवासी कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
2. दिनेश कुमार पिता जगदीश चन्द्र शर्मा, निवासी कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, कोटडी के प्रकरण संख्या 168/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.6.2018

अधिवक्तागण :–

1. श्री दिनेश सिसोदिया, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री जे सी दाधीच, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1व 2
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

दिनांक 8.1.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोटडी पटवार हल्का कोटडी में वादीगण व प्रतिवादीगण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

(अपीलार्थी) की शामलाती खाता संख्या 1010 की आराजी संख्या 1752 रकबा 0.05 बीघा, आराजी नम्बर 1753 रकबा 0.18 बीघा, आराजी नम्बर 1787 रकबा 1.03 बीघा, आराजी नम्बर 1821 रकबा 0.14 बीघा, आराजी नम्बर 1822 रकबा 2.10 बीघा, आराजी नम्बर 1825 रकबा 0.08 बीघा, आराजी नम्बर 1826 रकबा 1.15 बीघा, आराजी नम्बर 1829 रकबा 0.15 बीघा, आराजी नम्बर 1830 रकबा 1.00 बीघा, आराजी नम्बर 1831 रकबा 0.07 बीघा कुल किता 10 कुल रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा स्थित है। उक्त आराजियात में वादीगण का 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा निहित है। वादीगण अपने 2/3 हक हिस्से पर शामलाती रूप से एक साथ काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य उपरोक्त आराजियात का आपसी सहमति से विभाजकर कर पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। किन्तु राजस्व रेकार्ड में मौखिक विभाजन का कोई इन्द्राज नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण को काश्त करने, बोने, काटने, सिंचाई करने आदि कृषि कार्य करते समय लडाई झगडा करता हैं। इतना ही नहीं भू राजस्व के भुगतान के लिए भी पक्षकारान में विवाद उत्पन्न हो जाता है। दिनांक 8.12.2015 को वादीगण अपनी वर्तमान फसल को लेने गये तो प्रतिवादी संख्या 1 रास्ते में आडे फिर गया व लडाई झगडा किया एवं बाधा कारित की एवं बडी मुश्किल से वादीगण अपनी फसल को लेकर अपने घर पर आये व वादीगण ने अपने हिस्से को मवेशियों से सुरक्षित करने के लिए तारबंदी व दिवार बनाने की कोशिश की तो प्रतिवादी संख्या 1 ने लडाई झगडा किया व तारबंदी नहीं करने दी व धमकी दी कि वह अच्छी उपजाऊ भूमि पर स्थाई रूप से कब्जा कर लेगा। यदि प्रतिवादी संख्या 1 अच्छी भूमि पर कब्जा कर लेगा तो वादीगण को अपूर्णीय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

क्षति होगी । इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वह वादीगण के कब्जेकाश्त की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी नहीं करे एवं न किसी अन्य से करावे एवं मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाकर वादीगण को 2/3 हक हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या 1 को 1/3 का खातेदार राजस्व रेकार्ड में अलग से खाता कायम कर अंकन किया जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.6.2018द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय की अपीलार्थी को सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.10.2018 को रेस्पोडेण्ट/वादीगण द्वारा बताने पर हुई । जिस पर उसी दिन नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त होते ही बिला विलम्ब के अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया ।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने निवदेन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अपीलाण्ट/प्रतिवादी अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है जिससे वह

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपना जवाब दावा भी प्रस्तुत नहीं कर पाया । अपीलाण्ट को ज्यों ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन की तामिल हुई त्योंही अधीनस्थ न्याालय में अधिकार पत्र प्रस्तुत कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत किया जो दिनांक 23.11.2017 को खारिज किया गया । इसके उपरान्त पत्रावली जवाब दावे हेतु नियत चली आ रही थी। दिनांक 28.6.2018 को बिना अपीलाण्ट एवं उनके अधिवक्ता की उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय बिना किसी विवेचन के पारित कर दिया गया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थीगण/वादीगण अधीनस्थ न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नही आये जानबूझकर अन्य शामलाती आराजियात के तथ्यों को छिपाते हुए मात्र. वादग्रस्त 9 बीघा 15 बिस्वा बाबत ही विभाजन का वाद पत्र प्रस्तुत किया जबकि रेस्पोडेण्ट एवं अपीलण्ट की अन्य और शामलाती आराजियात ग्राम कोटडी में है। जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि समस्त शामलाती आराजयात एक ही गांव की समान सहखातेदारों के मध्य होने पर उसका एकसाथ विभाजन किया जाना कानूनन लाजमी होता है। इस प्रकार वास्तविक तथ्यों को छिपाकर प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने वादपत्र प्रस्तुत कर धोखे से निर्णय एवं डिक्री प्राप्त की है जो खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में किसी प्रकार की साक्ष्य को रेकार्ड पर लिये बिना ही निर्णय पारित कर दिया गया एवं तहसीलदार को कमिश्नर भी नियुक्त नहीं किया गया है । मात्र राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदारों के नाम के आधार पर विभाजन का वाद निर्णित किया है। जबकि अधीनस्थ

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

न्यायालय को चाहिये था कि प्रकरण में जवाब दावा लेकर तनकियात कायम कर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण में वादीगण ने जानबूझकर जगदीश चन्द्र जी की प्रथम श्रेणी की वारिसान उनकी पुत्रियों को पक्षकार नही बनाया है। जबकि कानूनन उनका भी हक हिस्सा जगदीशचन्द्र जी की आराजियात में निहित है। आवश्यक पक्षकारों को प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं करने से वाद पत्र पोषणीय नहीं था।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रकरण में लैण्ड होल्डर राज्य सरकार पक्षकार था जो प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार संस्थित था परन्तु वादी ने दिनांक 15.1.2016 को उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं चाहते हुए कार्यवाही ड्रोप करवा दी। जबकि लैण्ड होल्डर आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करा दिये जाने से वाद पत्र पोषणीय ही नहीं रहा था। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया जो विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलार्थी स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण में अपीलाण्ट/प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जावे।

11. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी/प्रतिवादी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन का वाद स्वीकार किया गया है जो विधिसम्मत है। फिर भी यदि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किया जाता है तो प्रकरण को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निर्धारित समय में निर्णित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे।

12. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया। अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

13. अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण/वादीगण ने विभाजन हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया । प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता के उपस्थित होने के बाद पत्रावली वास्ते जवाब दावा नियत रही एवं दिनांक 12.3.2016 को प्रतिवादी की ओर से आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 27.3.2017 को उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई एवं दिनांक 23.11.2017 को प्रार्थना पत्र खारिज किया गया । उसके उपरान्त तारीख पेशी दिनांक 2.1.2018 नियत की गई एवं दिनांक 2.1.2018 को पीठासीन अधिकारी के अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने के कारण आगामी तारीख पेशी दिनांक 9.1.2018 नियत की गई एवं दिनांक 9.1.2018 को प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 8.2.2018 जवाब हेतु नियत की गई। उसके उपरान्त दिनांक 8.2.2018 की कोई आदेशिका नहीं लिखी गई एवं दिनांक 21.3.2018, 24.5.2018, 28.6.2018 को पीठासीन अधिकारी के बाहर जाने से आगामी तारीख पेशी दी गई। दिनांक 28.6.2018 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.6.2018 नियत की गई। उक्त दिनांक 28.6.2018 को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधिवक्ता वादीगण की उपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया । उक्त दिनांक 28.6.2018 की आदेशिका में अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति दर्ज नही की गई एवं न ही उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही किये जाने का अंकन है। चूंकि प्रकरण वास्ते जवाब दावा नियत था ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर जवाब दावा हेतु अवसर समाप्त किये जाने एवं प्रकरण को साक्ष्य वादी में नियत करना चाहिये था अथवा प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का अंकन किया जाना चाहिये था।

14. अपीलार्थी का यह भी कथन है कि प्रकरण में जगदीश चन्द्र की पुत्रियों का पक्षकार संयोजित नहीं किया गया था। तो स्वयं अपीलार्थी/प्रतिवादी को यह आपत्ति/प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में वाद के विचाराधीन होने की अवधि में ही प्रस्तुत करना चाहिये था। जो उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। राजस्व रेकार्ड में दर्ज खातेदारान के मध्य विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। ऐसी स्थिति में स्वयं प्रतिवादी/अपीलाण्ट का भी आवश्यक पक्षकार संयोजित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दायित्व बन जाता है। जो उसके द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है एवं न ही जगदीश चन्द्र की पुत्रियों द्वारा पक्षकार संयोजित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

15. प्रकरण में राज्य सरकार लैण्ड होल्डर है जिसके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहने से कार्यवाही ड्रोप किये जाने का प्रश्न है । उक्त कार्यवाही ड्रोप किये जाने की दिनांक 5.1.2016 को प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता श्री बी एल जोशी द्वारा अण्डर टेकिंग ली गई थी तो उन्हें आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिये थी। जो उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। यह आपत्ति दिनांक 5.1.2016 के बाद निर्णय पारित

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

किये जाने की तारीख दिनांक 28.6.2018 तक प्रस्तुत नहीं की गई है।

16. परन्तु चूंकि मूल वाद में उपलब्ध साक्ष्य, दस्तावेज, के आधार पर उभयपक्षों के हक हितों का अंतिम तौर पर निस्तारण किया जाता है । नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित करना आवश्यक होता है परन्तु अपीलाधीन मामले में प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

17. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.6.2016 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादी का जवाब दावा लिया जाकर जवाब दावा प्राप्त होने पर तनकियात कायम कर उपलब्ध साक्ष्य, रेकार्ड को ध्यान में रखते हुए एवं प्रकरण में आवश्यक पक्षकार को पक्षकार संयोजित कर विधि अनुसार सुनवाई कर अवलिम्ब 6 माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर अज सिरे नो निर्णय पारित किया जावे । उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20/2/19 को उपस्थित रहे ।

18. निर्णय आज दिनांक 8.1.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

8/1/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा